

हरियाणा में महिला रोजगार: समस्याएं और समाधान

चन्दन सिंह
शोध छात्रा
डॉ चंद्रकांत चावला
शोध पर्यवेक्षक
ग्लोबल विष्वविद्यालय, सहारनपुर (उ.प्र.)

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT /OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE /UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION. FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

अमृत

यह पेपर हरियाणा में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करता है और इसकी समस्याओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। आज महिला सशक्तिकरण विज सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है। बीसवीं सदी की शुरुआत से लेकर आज तक उनकी स्थिति धीरे-धीरे बदली है। अध्ययन ने पाया है कि हरियाणा में महिलाएं उपेक्षित हैं और सरकार के कई प्रयासों के बावजूद, कुछ मामूली तौर पर पुरुषों से कमज़ोर हैं। शिक्षा और रोजगार तक पहुँच के संबंध में लिंग अंतर मौजूद है। घर में निर्णय लेने की शक्ति और महिलाओं की गतिमानता की आजादी उनकी आयु, शिक्षा और रोजगार की स्थिति पर अत्यधिक भिन्न होती है। पाया गया है कि महिलाओं द्वारा असमान सेक्स नीतियों की स्वीकृति अभी भी समाज में प्रचलित है। ग्रामीण महिलाएं शहरी महिलाओं की तुलना में घरेलू हिंसा का अनुभव करने के जोखिम में अधिक हैं। राजनीतिक भागीदारी में लिंग अंतर भी बहुत बड़ा है। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि शिक्षा और रोजगार तक पहुँच केवल सक्षम कारक हैं, हालांकि लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान केवल मानवता के लोगों के आपसी रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।

कीवर्ड: महिला, सशक्तिकरण, मुद्रे, चुनौतियाँ, महिलाओं के खिलाफ हिंसा।

परिचय

महिला सशक्तिकरण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जाति और लिंग भेदभाव की जंजीरों से महिलाओं को मुक्त करना शामिल है। इसमें महिलाओं को जीवन के चुनौती पूरी तरह से स्वतंत्रता देना शामिल है, समानता के लिए प्रयास करना बल्कि सिर्फ महिलाओं को पुरुषों के साथ तुलना करने के बजाय। विभिन्न पहलुओं में शामिल हैं महिला सशक्तिकरण के, जैसे मानवाधिकार, सामाजिक समानता, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, कानूनी सहारा, और राजनीतिक भागीदारी। मानवाधिकार महिलाओं को खुलेआम अपने विचारों को व्यक्त करने और उनके निर्णय शक्ति को प्रयोग करने की स्वतंत्रता का संबंध रखते हैं।

सामाजिक सशक्तिकरण में समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना शामिल है, दोनों पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसरों और अधिकारों की सुनिश्चित करना। शैक्षिक सशक्तिकरण महिलाओं को ज्ञान, कौशल, और आत्मविश्वास से लैस करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि वे विकास प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें और अपने अधिकारों का दावा कर सकें। आर्थिक और व्यापारिक सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को सामूहिक जीविका प्रबंधन और निर्धारित आजीविका को स्वामित्व में लेने के द्वारा पुरुषों पर वित्तीय आश्रितता को कम करना है। कानूनी सशक्तिकरण महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करने और कानूनी प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन के बीच की अंतर को समाप्त करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे के निर्माण का प्रसार करता है। राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं के निर्णय—लेने प्रक्रियाओं और शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी और नियंत्रण के लिए प्रयास करता है।

हाल के वर्षों में महिला सशक्तिकरण और अधिकारों के लिए वैश्विक आंदोलन में गति आई है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस जैसे आयोजनों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत मिलता है। महिला सशक्तिकरण परिवारों, समुदायों, और राष्ट्रों के स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं सुरक्षित, संतुष्ट जीवन जीती हैं, तो वे अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकती हैं, श्रमशक्ति में योगदान कर सकती हैं, स्वरथ बच्चों को पाल सकती हैं, और एक विकसित अर्थव्यवस्था और समाज को पोषित कर सकती हैं। प्रगति के बावजूद, वैश्विक रूप से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा बनी रहती है, जिससे साफ होता है कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन और कार्रवाई की आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं की प्रगति के लिए अनेक पहलुओं को महिला सशक्तिकरण के अवधारणा में शामिल किया गया है। इन पहलुओं में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, और स्वास्थ्य सशक्तिकरण शामिल हैं। महिलाओं को स्वतंत्र चुनाव करने और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और अवसर प्रदान करना सही दिशा में एक कदम है। काम के अवसरों और वित्तीय संसाधनों का पहुंच महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक सशक्तिकरण पूर्वाग्रहित धारणाओं का एक चुनौती है और समावेशशीलता को प्रोत्साहित करता है। राजनीतिक सशक्तिकरण की मौजूदगी से भागीदारी और प्रतिनिधित्व दोनों सुधार जाते हैं। शिक्षा से आने वाली सशक्तिकरण ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करती है। स्वास्थ्य सशक्तिकरण के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंच और निर्णय लेने की क्षमता दोनों सुनिश्चित होती है। बड़ी योजना में, महिलाओं का सशक्तिकरण लिंग समानता के रास्ते को तोड़ने में मदद करता है और एक समान और समावेशी समाज का निर्माण करता है।

साहित्य की समीक्षा

बेली, बी. (2003) नाइजीरिया को प्राकृतिक और सामग्रीय संसाधनों के विपुल हार्दिक्य धरातल पर निरंतर एक योजनात्मक उपयोग की आवश्यकता है। मानव और सामग्रीय संसाधनों के व्यय को रोकने की इस कोशिश में 'आरिस्टोक्रेटिक' प्रकार की शिक्षा को 'उपयोगिता वाली' में पूरी तरह से फिर से जीवंत करने की आवश्यकता है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा औद्योगिक सभ्यता की उद्घारण है। यह किशोरों, युवा, और वयस्कों को विपणनीय कौशल, ज्ञान, रुचि, और दृष्टिकोन के साथ कार्य के विश्व में पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए सज्जित करता है। विशेष रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शैक्षिक और भौतिक उत्पादकता से पुनर्निवेशित किया जाता है, ताकि वे लाभान्वित धरातल से सहनशील संपत्ति में परिणत हो सकें। 'टीवीईटी' वर्तमान समकालीन समाज में बेरोजगारी की कथनी के पूर्वाग्रहक है।

बी.के. मिश्रा और आर.के. मोहन्त्य (2005) शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण इस निबंध का शीर्षक है। यह कई क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सही है। यह भी दर्शाता है कि 21वीं सदी में महिलाओं का सशक्तिकरण राष्ट्र की समृद्धि में मदद करता है। महिलाएं दुनिया की आधी आबादी का हिस्सा बनती हैं, और महिला अधिकार समूहों ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है। सरकार और सार्वजनिक समाज ने भी शिक्षित महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। शिक्षा के माध्यम से, महिलाएं अपने ज्ञान को विस्तारित करती हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक उपाय करती हैं और समाज को

महिला सशक्तिकरण पर शिक्षित करती हैं। यह सभी लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने का एक शानदार अवसर है। महिलाएं अपने समाधानों के साथ चुनौतियों को खोल सकती हैं।

मोहंति, एस. आर., दास, बी., और मोहंति, टी. (2013) स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना और माइक्रोएंटरप्राइज के गठन द्वारा उन्हें आय कमाने की क्षमता प्रदान करने ने ओडिशा, भारत में आर्थिक क्रांति पैदा की है। ग्रामीण ओडिशा में माइक्रोएंटरप्राइज के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण उनकी पारंपरिक अभ्यास और संस्कृति को चुनौती दे सकता है ताकि उनकी भलाई को प्रभावी रूप से प्रोत्साहित किया जा सके। यह अध्ययन ओडिशा के कटक जिले में माइक्रोएंटरप्राइज के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रकट होता है। इस अनुसंधान कार्य में, ग्रामीण महिलाओं से उनके कार्य पैटर्न, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा स्तर, और परिवार के आकार के आधार पर क्षेत्रीय डेटा को एकत्र किया गया। अर्थात्मक तथ्यांकिता में फ्रीक्वेंसियों, प्रतिशतों, औसत और मानक विचलनों को समेत किया गया था ताकि परिणामों के मानवीय व्याख्यान की समझ और माइक्रोएंटरप्राइज में शामिल होने के कारणों का पता लगाया जा सके। अध्ययन के परिणाम ने दिखाया कि ओडिशा की ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर माइक्रोएंटरप्राइज कार्यक्रमों का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। माइक्रोएंटरप्राइज के सफल संचालन से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जो उनके सशक्तिकरण की ओर ले जाती है।

संगर, एस. (2014) उच्च शिक्षा का पहुंच महिलाओं को अधिक डिसेंट रोजगार में ज्यादा कामगार के रूप में खोला, जो राष्ट्रीय अर्थ में योगदान करता है। सरकारी नीतियों/योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण के इस महत्वपूर्ण सूचक को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पहुंच का इसके अभ्यास और विषयों की चुनौतियों को भी प्रभावित किया, लेकिन कई चुनौतियों के साथ आया। अधिक महिलाएं उच्च शिक्षा में शामिल थीं, लेकिन महिलाओं के रोजगार में वृद्धि के साथ नहीं गई थी, और इसकी बजाय व्यापारिक रूप से अपर्याप्त रही थी। यह देश में महिलाओं के कार्यशक्ति दर कम होने का प्रमाण है। यह लेख इस विचलन या उच्च शिक्षा और महिलाओं के रोजगार के बीच के मिलान को विशेषतः शहरी संदर्भ में, महिलाओं के उच्च शिक्षा के पहुंच में भविष्य में भर पाने की कोशिश करने का प्रयास करता है। यह इस असंतुलन के कुछ मुख्य कारणों का विश्लेषण करता है और यह भी जोर देता है कि महिलाओं के कामकाज में गिरावट को केवल भविष्य में महिलाओं के उच्च शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को भरकर ही हल किया जा सकता है।

रेशी, आई. ए., और सुधा, टी. (2021) महिलाओं का सशक्तिकरण आज की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यह महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। यह

साहित्य समीक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण के अवधारणा, इसके ऐतिहासिक विकास, और यह सुरक्षा विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्णता प्रदान करती है। समीक्षा में महिलाओं के सशक्तिकरण को बाधित करने वाले विभिन्न कारकों को हाइलाइट किया गया है और शिक्षा, संसाधनों की पहुंच, और राजनीतिक भागीदारी जैसी महिलाओं को सशक्त करने के सफल रणनीतियों की पहचान की गई है। अंत में, समीक्षा नीतिनिर्माताओं, सिविल समाज संगठनों, और शोधकर्ताओं के लिए सिफारिशों के साथ समाप्त होती है, ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण के कारण को आगे बढ़ाया जा सके।

अध्ययन का उद्देश्य

- महिला सशक्तिकरण की अवधारणाओं को जानना।
- हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अध्ययन करना।
- महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना।
- महिला सशक्तिकरण की राह में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
- निष्कर्षों के आलोक में उपयोगी सुझाव देना।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस अनुसंधान का एक उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण के कई रूपों की जांच है। इस अनुसंधान की विशेषता के लिए, डेटा जो उपयोग किया गया था, उसे वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों माना गया है। इस अनुसंधान की आवश्यकताओं के अनुसार, उस डेटा को उपयोग किया गया जो द्वितीयक समझा गया था। द्वितीयक डेटा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा उत्पन्न कई प्रकाशनों से प्राप्त किया गया था, साथ ही महिला सशक्तिकरण से संबंधित कई विश्वसनीय वेबसाइटों, पत्रिकाओं, और ऑनलाइन सामग्रियों से भी।

हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा

हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा महिलाओं के खिलाफ शारीरिक या यौन हिंसा है, विशेष रूप से पुरुषों द्वारा। हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सामान्य रूप शामिल हैं घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, और हत्या। इस कृत्य को खिलाफत के रूप में विचार किया जाना चाहिए क्योंकि पीड़ित व्यक्ति महिला है। जेंडर असमानता भूमिकाओं वाले पुरुष अक्सर इन कृत्यों का अपराध करते हैं। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड

ब्यूरो के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले बढ़ गए हैं, और हर तीन मिनट में एक महिला के खिलाफ अपराध किया जाता है।

हत्याएँ – दहेज की हत्या दहेज के लिए विवाहित महिला की हत्या या आत्महत्या होती है। कुछ पतियों और ससुरालवाले अतिरिक्त दहेज का हार्समेंट करते हैं और एक्सट्रा दहेज वस्त्र, पैसे या संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, कभी-कभी पत्नी खुद को आत्महत्या करती है, या बेटी के विवाह के दौरान उपहार, पैसे, या संपत्ति का आदान-प्रदान होता है। इन आत्महत्याओं का अधिकांश फांसी, जहर या स्वयं को जला लेना होता है। दहेज के मारे जाने पर दुल्हन की हत्या आमतौर पर आत्महत्या या दुर्घटना कही जाती है, और कभी-कभी वह प्रस्तित किया जाता है कि वह खाना पकाते समय केरोसीन चूल्हा जल गया है।

हालांकि हरियाणा में दहेज को कानूनी तौर पर निषेध किया गया है, फिर भी परिवारिक विवाहों के दौरान दुल्हन और उसके रिश्तेदारों को विलासी उपहार दिए जाते हैं। सम्मान की हत्याएँ से परिवार का अपमान और शर्म होती है। एक पूर्व-आयोजित विवाह का इंकार करना, व्यभिचार, एक अस्वीकृत परिवारीय सदस्य को पसंद करना, और बलात्कार सम्मान की हत्याएँ हैं। कुछ भारतीय समुदायों में, जाति परिषदें अनुरूप व्यवहार करने वालों को आमने-सामने करती हैं।

हरियाणा में जादूगरनी बनाम आरोपित महिलाओं को अब भी मार दिया जाता है। गरीब, विधवा, और निचली जाति की महिलाओं को इस हत्या के खतरे अधिक होते हैं। यौन गर्भाशय की हत्या एक नवजात या एक स्त्री गर्भावस्था के यौन-चयनात्मक गर्भपात का मरण होता है। हरियाणा में, परिवार की सुरक्षा को पुराने आयु में और मृत पितृ और पूर्वजों के लिए रस्मों का आयोजन करने ने उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लड़कियाँ सामाजिक और आर्थिक बोझ होती हैं। दहेज पर प्रतिषेध एक उदाहरण है। गरीब परिवारों में दहेज न देने और सामाजिक अस्वीकृति का भय स्त्री गर्भाशय की हत्या को उत्पन्न कर सकता है। जब बच्चा अब भी गर्भवती होता है, तो आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी ने इसका लिंग पहचान लिया है। आधुनिक पूर्वजन्म निदान प्रौद्योगिकी के बाद, परिवारों को निर्धारित करने का विकल्प होता है कि क्या वे लिंगाधारित गर्भावस्था का गर्भपात करवाएं। एक अनुसंधान में, 8,000 में से 7,997 गर्भावस्थाओं का गर्भपात लड़की के फोटुस पर किया गया था। डॉक्टरों द्वारा प्राकृतिक पूर्वजन्म और भ्रूण का लिंग निर्धारण अब एक हजार करोड़ रुपये की उद्योग है।

यौन अपराध- महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में हरियाणा दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है। हरियाणा में बलात्कार सबसे आम अपराधों में से एक है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम,

2013 में, बलात्कार को किसी पुरुष या महिला की सहमति के बिना किसी पुरुष द्वारा किसी महिला की शारीरिक सुंदरता में घुसपैठ करना और दंडित नहीं किए जाने के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड व्यूरो के अनुसार, हरियाणा में हर 20 दिन में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। हरियाणा में वैवाहिक बलात्कार कोई आपराधिक अपराध नहीं है। हरियाणा उन पचास देशों में से एक है जिन्होंने अभी तक वैवाहिक बलात्कार पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। हरियाणा के 20: पुरुष अपनी पत्नी या पार्टनर पर यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने की बात स्वीकार करते हैं। हरियाणा में मानव तस्करी, हालांकि भारतीय कानून के तहत अवैध है, एक बड़ी समस्या है। व्यावसायिक यौन शोषण और जबरनध्युलाम मजदूरी के लिए अक्सर लोगों को हरियाणा के माध्यम से तस्करी कर लाया जाता है।

घरेलू हिंसा— घरेलू हिंसा तब होती है जब एक साथी डेटिंग, शादी, अंतरंगता या पारिवारिक संबंधों जैसे अंतरंग संबंधों में दूसरे साथी के साथ दुर्व्यवहार करता है। घरेलू हिंसा को घरेलू हिंसा, वैवाहिक दुर्व्यवहार, हमला, घरेलू हिंसा, डेटिंग दुर्व्यवहार और अंतरंग साथी हिंसा के रूप में भी जाना जाता है। घरेलू हिंसा शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, वित्तीय और यौन शोषण हो सकती है। घरेलू हिंसा सूक्ष्म, जबरदस्ती या हिंसक हो सकती है। राजनेता रेणुका चौधरी के अनुसार, हरियाणा में 70: महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं।

जबरन और बाल विवाह— कम उम्र में जबरन शादी का जोखिम उठाने वाली लड़कियों को दोहरे जोखिम का सामना करना पड़ता है; एक बच्चा और एक महिला। लड़के—लड़कियां अक्सर शादी का मतलब और जिम्मेदारियां नहीं समझते। ऐसी शादियों के कारण लड़कियां अपने माता—पिता पर बोझ बन जाती हैं और शादी से पहले अपनी पवित्रता खोने से डरती हैं।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

यह महिलाओं के स्वाभिमान और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को सशक्त करना महिलाओं को सशक्त करने के बराबर अधिकार प्राप्त करना है। महिलाएं शिक्षा, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में भाग लेने के लिए बराबर अधिकार रख सकती हैं। महिलाएं अपने धार्मिक, भाषा, काम और अन्य गतिविधियों का चयन करके खुश रहकर समाज में शामिल हो सकती हैं। महिला सशक्तिकरण आजकल हरियाणा में विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है यद्युनिया भर में महिलाएं सक्रिय रूप से नेतृत्व का कार्य कर रही हैं और सभी क्षेत्रों में दूसरों को पीछे छोड़ रही हैं।

पूरी दुनिया हर एक दिन अविश्वसनीय रूप से ब्टप्क-19 महामारी से अवाक है और हर एक दिन के लिए प्रार्थना कर रही है, यह महिला गर्वनर्स और राष्ट्र है जो इन अद्भुत व्यक्तित्वों द्वारा प्रेरित हैं और एकांत में जिम्मेदारी ले रहे हैं और लड़ रहे हैं। हरियाणा में महिला सशक्तिकरण बड़े हिसाब से कई विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें भूगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षिक स्तर और आयु के कारक शामिल हैं।

महिला सशक्तिकरण पर कार्रवाई राज्य, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है। हालांकि, शिक्षा, आर्थिक अवसर, स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता, और राजनीतिक भागीदारी जैसे अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे समुदाय स्तर पर रणनीति की प्रगति और वास्तविक अमल के बीच एक ठोस अंतर होता है।

महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ

हरियाणा में महिला अधिकारों के मुद्दों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। इन मुद्दों पर निशाना साधने से हरियाणा में महिला सशक्तिकरण को सीधा लाभ मिलेगा।

शिक्षा— देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की है और शिक्षा को लेकर चिंतित है। महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर बहुत बड़ा है। 82.14: वयस्क पुरुषों को अच्छी शिक्षा प्राप्त है, जबकि हरियाणा में केवल 65.46: वयस्क महिलाएं साक्षर मानी जाती हैं। उच्च शिक्षा में लिंग भेद है और विशेषकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण जो किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार में प्रभावी रूप से प्रेरित करता है और शीर्ष नेतृत्व प्राप्त करता है।

गरीबी— गरीबी को विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और गरीबी उन्मूलन उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए जितना कि निरक्षरता उन्मूलन। इससे घरेलू सहायिका के रूप में महिलाओं का शोषण होता है।

स्वास्थ्य और सुरक्षा— महिला स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे देश हित में सर्वोपरि हैं और देश में महिला सशक्तिकरण के आकलन में महत्वपूर्ण कारक हैं। हालांकि, जहाँ तक माताओं का संबंध है, चिंताजनक चिंताएँ हैं।

व्यावसायिक असमानता— यह असमानता रोजगार और पदोन्नति में प्रचलित है। सरकारी कार्यालयों और निजी उद्योगों में, महिलाओं को पुरुष-प्रधान और वर्चस्व वाले माहौल में असंख्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

घरेलू असमानता— भारत में, विशेषकर हरियाणा में पारिवारिक रिश्ते बहुत छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से लिंग भेद दिखा रहे हैं। तथाकथित श्रम विभाजन से होमवर्क, बच्चों की देखभाल और तुच्छ कार्यभार साझा करना।

बेरोजगारी— महिलाओं के लिए सही नौकरी ढूँढना लगातार और अधिक मुश्किल हो रहा है। वे कामकाज में शोषण और उत्पीड़न के लिए अधिक विकल्पशून्य हो जाती हैं।

असहनीय शर्तें— अशिक्षित महिलाओं को तलाक लेने और अपने पतियों को किसी भी चरण पर छोड़ने का अधिक संभावना होता है। वे तलाक का डर से अपनी पूरी जिंदगी बिताना पड़ता है। कुछ मामलों में, वे असहनीय परिस्थितियों के कारण अपनी जिंदगी खत्म करना पड़ता है।

अध्ययन के निष्कर्ष

1. भारत में कई कानून बने हैं लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हुए हैं।
2. हरियाणा में महिला सशक्तिकरण में कई बाधाएं हैं।
3. गरीबी और शिक्षा की कमी महिला सशक्तिकरण में बड़ी बाधाएं हैं।
4. सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। यह केवल महिलाओं के समग्र विकास के लिए कुछ सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर भरोसा करने और यह महसूस करने से ही संभव है कि उनमें सक्षम पुरुष बनने की क्षमता है।
5. सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के मन में आत्मविश्वास पैदा करना आवश्यक है।
6. हमें एक टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने से शुरुआत करनी चाहिए।

निष्कर्ष

जब महिलाएं परिवार का नेतृत्व करती हैं, तो गाँव की प्रगति होती है और राष्ट्र आगे बढ़ता है। यह आवश्यक है क्योंकि उनके विचार और मूल्य प्रणाली एक अच्छे परिवार, एक अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र को विकसित करते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें विकास के मुख्य धारा में शामिल करना है। महिला सशक्तिकरण केवल तब ही वास्तविक और प्रभावी होगा जब उनके पास आय और संपत्ति हो, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें।

महिला सशक्तिकरण बना रह गया है 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में, केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। सरकारी पहल केवल इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए और समाज को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए और महिलाओं को समाज, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में समानता के भाव से भाग लेने के लिए पूरी तरह से स्वायत्तता का अवसर होना चाहिए।

सन्दर्भ

- डुफ्लो, ई. (2012)। महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक विकास. जर्नल ऑफ इकोनॉमिक लिटरेचर, 50(4), 1051–79।
- मेहरा, आर. (1997). महिला, सशक्तिकरण और आर्थिक विकास। द एनल्स ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस, 554(1), 136–149।
- वर्गीस, टी. (2011)। ओमान में महिला सशक्तिकरणरू महिला सशक्तिकरण सूचकांक पर आधारित एक अध्ययन। फार ईस्ट जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एंड बिजनेस, 2(2), 37–53।
- मंडल, के.सी. (2013, मई)। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा एवं प्रकार। शिक्षण और अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय मंच में (खंड 9, संख्या 2)।
- हजारिका, डी. (2011)। भारत में महिला सशक्तिकरण: एक संक्षिप्त चर्चा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1(3), 199–202।
- नायक, पी., और महंत, बी. (2009)। भारत में महिला सशक्तिकरण.
- सुंदरम, एम.एस., सेकर, एम., और सुब्बुराज, ए. (2014)। महिला सशक्तिकरण: शिक्षा की भूमिका. इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, 2(12), 76–85।
- टंडन, टी. (2016)। महिला सशक्तिकरण: दृष्टिकोण और विचार। द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, 3(3), 6–12।
- शर्मा, पी.आर. (2007)। सूक्ष्म वित्त और महिला सशक्तिकरण। जर्नल ऑफ नेपाली बिजनेस स्टडीज, 4(1), 16–27।
- मोक्ता, एम. (2014)। भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 60(3), 473–488।

- चंद्रा, आर. (2007, दिसंबर)। भारत में महिला सशक्तिकरण—मील के पत्थर एवं चुनौतियाँ। पैक्स कार्यक्रम, नई दिल्ली द्वारा आयोजित “गरीबी उन्मूलन के लिए क्या आवश्यक है” विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में।
- वाघामोड, आर.एच., और कल्याण, जे.एल. (2014)। भारत में महिला सशक्तिकरण. एक खोज। साहित्य की समीक्षा, 1(7).
- पचोरकर, एस., कवीश्वर, एस., और शारदा, पी. (2020)। भारत में महिला उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण: ज्वाला महिला समिति का एक केस अध्ययन। प्रेस्ट. इंट. जे. मनग. रेस, 12, 254–264.
- गुप्ता, एम. (2021)। महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिकारू उत्तराखण्ड, भारत से मामले का अध्ययन। उद्यमशील समुदायों का जर्नलरू वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोग और स्थान।
- बनर्जी, एम. (2020)। कोविड-19 के दौरान भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनानारू भविष्य की स्थिरता पर विचार करते हुए एक संक्षिप्त अध्ययन। जर्नल ऑफ स्टडीज इन सोशल साइंसेज, 19.
- रहमान, एच., मोअज्जम, डी. ए., और अंसारी, एन. (2020)। महिला सशक्तीकरण में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की भूमिकारू अखुवत, पाकिस्तान का एक केस अध्ययन। दक्षिण एशियाई अध्ययन, 30(1).
- प्रियदर्शिनी, ए., त्यागराजन, आर., कुमार, वी., और राधु, टी. (2016, दिसंबर)। विकासशील भारत की दिशा में महिला सशक्तिकरण। 2016 में आईईई क्षेत्र 10 मानवतावादी प्रौद्योगिकी सम्मेलन (आर10—एचटीसी) (पीपी. 1–6)। आईईई।
- गुप्ता, के. (2020)। वैश्वीकरण और महिला सशक्तिकरण. जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज एंड मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट स्टडीज, 1(1), 1–4।

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, hereby, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website/amendments/updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct, I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it

sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and hentriicontane is genuinely mine. If any issue arises related to Plagiarism/ Guide Name/ Educational Qualification/ Designation/ Address of my university/ college /institution/ Structure or Formatting/ Resubmission /Submission /Copyright /Patent/Submission for any higher degree or Job/Primary Data/Secondary Data Issues. I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the database due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents(Andhra/Driving License/Any Identity Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper maybe rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that As the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds Any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper maybe removed from the website or the watermark of remark/actuality maybe mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

**चन्दन सिंह
डॉ चंद्रकांत चावला**
